आदेश पर
गयी टिप्पणी
तारीख सहित
3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0–एम० 03/2021, धारा–145 द० प्र० सं०

बहादुर सिंह मुण्डा बनाम हाड़ी पातर वगैरह

तिथि	आदेश	
1	2	3
06/10/2022	प्रस्तुत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में निम्न निम्न भूमि को लेकर उभय पक्षों में दखल कब्जा के विवाद को देखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–145 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया गया । साथ ही दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।	

विवादित भूमि विवरणी

मौजा–बारूहातु, थाना–सोनाहातु थाना संख्या–60, जिला–राँची।

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	चौहदी
269	1239	2.22 एकड़	उ०–छुटु दास वगैरह द०–हाडिया दास, पू०–तसवर कुम्हार, प०–हेमकान्त सिंह मुण्डा
	1220	0.12 एकड	उ०–नाला खेत द०–विमला देवी, पू०–तसवर कुम्हार, प०–हेमकान्त सिंह मुण्डा
	1240	0.50 ए०	उ०–राजेन महतो द०–नाला, पू०–तसवर कुम्हार, प०–हेमकान्त सिंह मुण्डा

वाद में द्वितीय पक्ष संख्या–4 राजीव पातर मुण्डा के द्वारा वकालतनामा के साथ हाजरी दी गई एवं द्वितीय पक्ष संख्या–1, 2 तथा 3 को रजिष्ट्री डाक के

06/10/2022	द्वारा नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। द्वितीय पक्ष संख्या–4 राजीव पातर मुण्डा के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आना छोड़ दिये है। न ही सम्पर्क में है। वाद को प्रथम पक्ष को एकपक्षीय कार्यवाही हेतु रखा गया।

<u>प्रथम पक्ष का पक्ष</u>

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये है:–

1. यह है कि विवादित भूमि मौजा–बारूहातु, थाना–सोनाहातु जिला–राँची के खाता संख्या–269, प्लॉट संख्या–1239 रकवा–2.22 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष की खरीदगी संपत्ति है। जो निबंधित पट्टा संख्या–19514/17090, बुक नं०–1 भोलूम नं०–640, पेज संख्या–77 से 79, दिनांक 03/10/2008 को प्राप्त किया है एवं विवादित भूमि मौजा–बारूहातु, थाना–सोनाहातु जिला–राँची के खाता संख्या–269, प्लॉट संख्या–1220 रकवा–0.12 एकड, प्लॉट संख्या–1240 रकवा–0.50 एकड़ भूमि भी खरीदगी भूमि है। जिसका निबंधित पट्टा संख्या–16/15, बुक संख्या–1 भोलूम संख्या–2, पेज संख्या–253 से 308 है। उक्त पट्टा ठाकुर भूतनाथ सिंह मुण्डा पिता–स्व० रघनुनन्दन सिंह मुण्डा ग्राम–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु के द्वारा बहादुर सिंह मुण्डा पिता–जीत सिंह मुण्डा ग्राम–बारूहातु, थाना–सोनाहातु के नाम निष्पादित किया गया है।
2. यह है कि उक्त दोनो पट्टा निबंधन के पूर्व बिक्री स्वीकृति प्राप्त है। जिसका परमिशन वाद संख्या–आर० एम० 08/2008 दिनांक 06/09/2008 एवं आर० एम० 01/2015–16 दिनांक 30/07/2016 है।
3. यह है कि बिक्री प्राप्त करने के पश्चात दखलकार हुए एवं अंचल कार्यालय सोनाहातु से दाखिल–,ाारिज भी कराये। जिसका नामान्तरण वाद संख्या–142 आर 27 /2017–18 एवं 270 आर 27/2016–17 है। दाखिल–खारिज कराने के बाद सरकार को मालगुजारी भी लगातार देते आ रहे है। विवादित भूमि पर प्रथम पक्ष का शांति पूर्वक दखल–कब्जा है। जिसको द्वितीय पक्ष बाजबरजस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। विवादित भूमि को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होने विवादित भूमि पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की 3

3

06/10/2022

धारा–145 के तहत प्रथम पक्ष के हित में दखल–कब्जा घोषित करने एवं द्वितीय पक्षगण को प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेश

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को एकपक्षीय बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि को प्रथम पक्ष निबंधित पट्टा से प्राप्त किये है एवं दखलकार हुये। अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज भी कराये है एवं सरकार को लगातार मालगुजारी भी देते आ रहे है। जिसके आधार पर दावा कर रहे है। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा प्रतीत नहीं होता है। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई थी। द्वितीय पक्ष के हाथों शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–145 के तहत विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष को जाने से रोक लगाया जाता है एवं प्रथम पक्ष को दखल–कब्जा घोषित किया जाता है। इसी निरूपण के साथ वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:44:18 +05:30
Location: 10.93.79.10